**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 2525**

**दिनांक 08 अगस्‍त, 2018**

**तेल और गैस ब्‍लॉकों के लिए नई संविदाएं**

**2525. श्री आर॰ वैद्यलिंगमः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य चालित लाइसेंस तथा उनके निजी साझेदारों के साथ निष्पक्ष बर्ताव के लिए तेल तथा गैस ब्‍लॉकों हेतु संविदा का नवीनीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नयी शर्तों के तहत, सांविधिक कर वसूली जैसे कि रायल्टी तथा उपकर का तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा ऑयल (ओआईएल) लाइसेंसधारियों तथा क्षेत्र का प्रचालन कर रहे निजी भागीदारों द्वारा उनकी इक्विटी के समानुपात में साझाकरण किया जाएगा; और

(घ) क्या इन भुगतानों को लागत के रूप में माना जाएगा और कम्पनियों को लाभ की गणना से पहले वसूल करने की अनुमति दी जाएगी?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) से (घ):  **:**  सरकार द्वारा अनुमोदित उत्पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं (पीएससीज) की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने में  एनईएलपी-पूर्व अन्वेषण ब्‍लॉकों में संविदाकारों के भागीदारी हित के अनुपात में रॉयल्टी और उप कर साझा करना और उसे लागत वसूली योग्य बनाना शामिल है। एनईएलपी-पूर्व अन्वेषण ब्‍लॉकों में उत्पादन हिस्‍सेदारी संविदाओं (पीएससीज) के तहत, राष्‍ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) (ओआईएल) को लाइसेंसधारी के तौर पर निर्दिष्‍ट किया गया था और वे ब्‍लॉक से उत्‍पादित संपूर्ण तेल और गैस पर रायल्‍टी, उप कर तथा अन्‍य सांविधिक उगाहियों का भुगतान करेंगे और इस प्रकार के भुगतान लागत वसूली योग्‍य नहीं हैं।  राजकोषीय देयताओं को साझा न करने तथा गैर-लागत वसूली के चलते एनओसीज द्वारा कुछ ब्‍लॉकों में किया गया अतिरिक्‍त निवेश उनके लिए वाणिज्‍यिक दृष्‍टि से अव्‍यवहार्य हो गया है।  अनुमोदित नीति के अनुसार, एनईएलपी-पूर्व अन्‍वेषण ब्‍लॉकों के संविदाकारों को ब्‍लॉक में अपने अपने भागीदारी हितों (पीआईज) के अनुपात में रायल्‍टी तथा उप कर सहित सांविधिक वसूलियों की देयताओं को साझा करने की अनुमति होगी। सभी संविदाकार ब्‍लॉक के लाइसेंसधारी बन जाएंगे और इस प्रकार की सांविधिक उगाहियों के लिए किए गए भुगतान भविष्‍य में संविदा लागत के भाग के रूप में लागत वसूली के लिए पात्र होंगे।

\*\*\*\*\*